No. S. E./PWD/B&R/Chandigarh/413/R.—Whereas it appears to the Governor of Haryana that land is likely to be taken by the Government, at public expenses, for a public purpose, namely, for the constructing link road from L/R from Karera Khurd to village Tigri, in district Ambala, it is hereby notified that the land described in the specification bolow is required for the above purpose.

This notification is made under the provision of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana is pleased to authorise the officers for time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested in the above land who has any objection to the acquisition of any land in the locality may with in thirty days of the publication of this notification, file an objection in writing before the Land Acquisition Collector, P.W.D., B. & R. Branch, Ambala Cantt.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality/ Village.	Hadbst No.	Area in Acres	Khasra Nos.
Ambala	Iagadhri	Karera Khurd	148.	3·12.	37 / 24, 25, 38 / 21 to 25, 39 / 21 to 23, 24/2, 25/1, 25/2, 40 / 21 to 24, 41 / 1 to 4. 42 / 1 to 5. 43 / 1 to 5 44 / 4, 5, 73, 276, 280.
Do	Do	Tigri	143	1·43.	22/11 to 20, 23 / 11, 12, 13, 18, 19, 20, 63, 70.
		Total		4·55.	

No. 412 /S.E. Chandigarh, Circle Hr.P.W.D. B and BR Chandigarh.—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that the land below is needed by the Government, at public expense, for the public purpose, namely link road from S.K. Road to village Tower (Missing Nos) in Ambala Distt. It is, therefore, hereby declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid purpose.

This declaration is made under the provision of section VI of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern and under the provision of section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector, Haryana, P.W.D., B and R BR. Ambla Cantt, is hereby directed to take order for the Acquisition of the said land.

Plans of the land may be inspected in the offices of the Land Acquisition Collector, Haryana, PWD, B and R Branch, Ambala Cantt. and Executive Engineer, Provl. Division, Naraingarh.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality/ Village	Hadbast No.	Area in Acres	Khasra Nos.
Ambala	Naraingarh	Tower	173	100	9 28 77, 87.

No. 414/S.E.Chandigarh, Circle Hr. P.W.D., B&R. Chandigarh.—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is needed by the Government, at public expense, for the public purpose, namely, constructing link road from village Khera Chhota to village Khera Bara in Jagadhri Tehsil, District Ambala, it is hereby declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid purpose.

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern and under the provision of section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector, Haryana, P. W. D. B.& R. Branch, Ambala Cantt. is hereby directed to take order for the acquisition of the said land.

Plans of the land may be inspected in the offices of the Land Acquisition Collector, Haryana, P.W.D. B. & R. Branch, Ambala Cantt. and Executive Engineer, Jagadhri Provl. Division Yamuna Nagar.

SPECIFICATIONS

District	Tehsil	Locality/ Village	Hadbast No.	Area in Acres	Khasra Nos.
Ambala	Jagadhri	Khera Khurd	356	0.63	10 6, 15, 16, 25 24, 32, 43, 44, 45, 77 to 80, 33
Do	Do	Khera Kalan	355	0.76	31 35 15, 16, 25 5/1, 5/2, 6 45, 52; 72, 61, 110 to 142
			Total	1.39	

(Sd.) . . . ,
Superintending Engineer,
Chandigarh Circle, Haryana, PWD, B&R Branch, Chandigarh.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 25 जुलाई, 1984

सं. ओ.वि./एफ.डी./84-84/26002.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० परफैक्ट पैक लि०, प्लाट नं० 134, सैक्टर-24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री उपेन्द्र प्रसाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/11246, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री उपेन्द्र प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./329-83/26009.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज बेलमाऊंट रबड़ इण्डस्ट्रीज, 58-बी, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, एन०आई०टी०, फरीदाबाद के श्रमिक श्री वंश राज तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री वंश राज की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं.ओ. वि./पानीपत/54-84/26016.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० दी करनाल सैन्ट्रल को-आप्रेटिव बैंक लिमिटड, माल रोड, करनाल, के श्रमिक श्री हवा सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम दिनांक 19 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री हवा सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं.ओ. वि./पानीपत/64-84/26022.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. ए. आर. स्प्रींग इण्डस्ट्रीज, रेलवे रोड, करनाल के श्रमिक श्री मदन लाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-श्रम दिनांक 19 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री मदन लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ;

एस. के. महेश्वरी,
संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।